International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 12 Issue 9 || September 2023 || PP. 240-245

झारखंड गठन के पश्चात् बिहार में औद्योगिक विकास की स्थिति तथा सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का ऐतिहासिक अध्ययन

साजदा परवीन
शोध छात्रा, इतिहास विभाग, बी. एन. एम. यू. मधेपुरा, बिहार

सार

झारखंड गठन के समय बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमश : 21.3 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 59.0 प्रतिशत था। वर्ष 2011–12 से 2018–19 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार संरचना बदली है। ऐसा मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तृतीयक क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने के कारण हुआ है। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा लगभग अपरिवर्तित रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2011–12 के 25.8 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 19.7 प्रतिशत रह गया जबकि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत हो गया।

विस्तार

द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 2011–12 में 18.8 प्रतिशत था जो बहुत मामूली बढ़कर 2018–19 में 19.1 प्रतिशत हो गया। फसल और पशुधन राज्य में प्राथमिक क्षेत्र के मुख्य योगदाता हैं। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में पशुधन का हिस्सा 5.6 प्रतिशत पर लगभग अपरिवर्तित रहा है जबकि फसलों का हिस्सा 18.9 प्रतिशत से घटकर 10.6 प्रतिशत रह गया है। इसके कारण पूरे प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई है जो 27.1 प्रतिशत से घटकर 19.7 प्रतिशत रह गया है।

द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में मुख्य योगदाता हैं। इनका 2018–19 में क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा था जो गत पाँच वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में तृतीयक क्षेत्र में मुख्य योगदाता व्यापार एवं मरम्मत सेवाएँ (18.2 प्रतिशत) स्थावर संपदा आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ (9.1 प्रतिशत) पथ परिवहन (5.4 प्रतिशत) और वित्तीय सेवाएँ (4.3 प्रतिशत) हैं। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में स्थावर संपदाए आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाओं को छोड़कर इन सारे घटकों का हिस्सा 2012–13 से 2018–19 के बीच बढ़ा है।

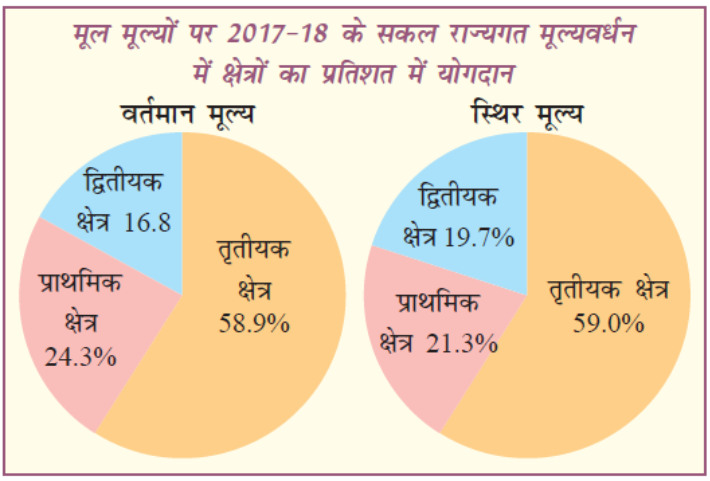

स्थिर (2011–12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना (2012–13 से 2018–19)								
क्र.सं.	क्षेत्र	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (अनंतिम)	2018–19 (त्वरित)
1	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	27.0	22.8	22.0	21.2	21.6	21.0	19.3
1.1	फसल	18.9	14.2	13.1	12.3	12.7	12.1	10.6
1.2	पशुधन	5.0	5.4	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	1.7	1.7	1.6	1.5	1.8	1.7	1.6
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5
2	खनन एवं उत्खनन	0.1	0.5	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3
प्राथमिक		**27.1**	**23.4**	**22.2**	**21.9**	**22.0**	**21.3**	**19.7**
3	विनिर्माण	3.9	7.2	9.6	8.2	9.4	8.7	8.2
4	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएँ	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5
5	निर्माण	10.2	10.5	9.7	10.0	9.7	9.5	9.5
द्वितीयक		**15.6**	**19.3**	**20.9**	**19.7**	**20.6**	**19.7**	**19.1**
6	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	18.6	17.5	15.8	17.6	17.8	17.9	19.2
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएँ	17.5	16.4	14.8	16.6	16.8	16.9	18.2
6.2	होटल एवं जलपान गृह	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9

स्त्रोत– बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020

कृषि बिहार जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिये मुख्य सहारा है जो उनकी खाद्य सुरक्षा, रोजागार और ग्रामीण विकास को सहारा देती है। यह तीन– चौथाई से भी अधिक आबादी को सहारा देती है। रोजगार पैदा कराने के अलावा, यह उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराती है, खाद्य आपूर्ति में वृद्धि करती है और गरीबी निवारण में सहायता करती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 2017–18 में लगभग 20 प्रतिशत था। कुल सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में फसल क्षेत्र का हिस्सा 2018–19 में 10.64 प्रतिशत था। सीमित भूमि संसाधन, टुकड़ों में बँटी जोतों, और अनियमित वर्षापात के बावजूद राज्य में फसलों और बागबानी का उत्पादन संबंधी प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है। वर्ष 2018–19 में बिहार में खद्यान्नों का उत्पादन 163.12 लाख टन था।

बिहार में 2018–19 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में पशुधन, मछली पालन और जलकृषि का संयुक्त योगदान लगभग 7.10 प्रतिशत था। फसल उत्पादन, कृषि निवेशों, लागत सामग्रियों तथा मशीनों की खरीद के लिये वित्तीय संसाधनों की मांग बढ़ती रही है। सिंचाई के सुदृढ़ीकरण, बाढ़ से संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी विकास की परियोजनाओं को शामिल करने के लिये कृषि विभाग और सहवर्ती क्षेत्रों को तृतीय कृषि रोडमैप, 2017–22 के लिये कुल 1.54 लाख करोड़ आबंटित किये गए हैं। किसान समुदाय को जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार जलवायु के झटके झेलने में सक्षम कृषि को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता देने और आधुनिक लागत सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिये अनेक योजनाएँ चला रही है।

बिहार जैसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियाँ कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों के विकास के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं क्योंकि खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा से इनका मजबूत संबंध है। यह क्षेत्र खाद्य पदार्थों की आपूर्ति ही नहीं बढ़ाता है, रोजगार के अवसर भी पैदा करता है, जीविका के अवसरों में भी सुधार लाता है और गरीबी निवारण भी करता है।

विगत दो दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था में ढाँचागत बदलाव आया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना में कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने से स्पष्ट होता है। तृतीयक क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सापेक्ष हिस्सा 2000–01 के 35.8 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 19.7 प्रतिशत रह गया, ऐसा तृतीयक क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के कारण हुआ हालाँकि इसका महत्त्व इस बात में निहित है कि राज्य की 70 प्रतिशत से भी अधिक आबादी कृषि कार्यों में लगी है। वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के बाद अधिकांश खनिज संसाधन झारखंड वाले क्षेत्र में चले गए। अतः सक्षम कृषि व्यवस्था बिहार में समग्र आर्थिक विकास की विकास

मूलक रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन जाती है। कृषि क्षेत्र में उच्च और टिकाऊ विकास हासिल करना खेती में और खेती के बाद रोजगार के अवसर पैदा करने तथा आमदनी, खासकर गरीबों की आमदनी बढ़ाने, दोनों के लिहाज से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

समुद्रतट – विहीन राज्य बिहार में देश की लगभग 8.6 प्रतिशत आबादी रहती है जबकि यहाँ देश का 3.8 प्रतिशत कृषि–भूमि ही मौजूद है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे अधिक– 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जबकि देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ही है। कुल मिलाकर बढ़ती आबादी, सीमित कृषि–भूमि, टुकड़ों में बँटी जोतें, लागत सामग्रियों की ऊँची लागत, अनियमित वर्षा, बाढ़ और भूमि का क्षरण बिहार में कृषि क्षेत्र के लिये गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

कृषि की संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए, राज्य प्रशासन ने राज्य की फसलों, पशुधन, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन और सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। राज्य की कृषि सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाभदायक और टिकाऊ कृषि प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। कृषक समुदाय की आजीविका स्थिरता की रक्षा के लिए, राज्य सरकार पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को विकसित करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और आधुनिक आदानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रमों को लागू कर रही है।

बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का योगदान 2013–14 के 22.8 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 19.3 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2018–19 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में सर्वाधिक 10.6 प्रतिशत योगदान फसल क्षेत्र का था और सबसे कम 1.5 प्रतिशत मत्स्य एवं जलकृषि क्षेत्र का। पशुधन क्षेत्र बिहार में एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के बतौर उभर रहा है, जो राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में इसके बढ़ते योगदान– 2013–14 के 5.4 प्रतिशत से 2018–19 में 5.6 प्रतिशत से स्पष्ट है। सकल राजकीय मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का हिस्सा 2018–19 में 10.6 प्रतिशत था लेकिन 2013–14 के 14.2 प्रतिशत से यह 3.6 प्रतिशत अंक घट गया है। वर्ष 2018–19 में बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में वन एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.6 प्रतिशत था। विगत छः वर्षों के दौरान राज्य के सकल राजकीय मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र के योगदान के रुझान का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि राज्य में कृषि क्षेत्र को आगे लाने के लिये फसल, पशुधन और मत्स्य क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण संभावनाएँ हैं।

बिहार सरकार की योजनाएँ

प्रत्येक राज्य, चाहे वह स्थापित हो या उभर रहा हो, एक या एक से अधिक बुनियादी मुद्दों का सामना करता रहता है। कुछ कठिनाइयाँ हैं जो हमेशा मौजूद रहेंगी, जैसे स्वास्थ्य के मुद्दे, वृद्धावस्था के मुद्दे, बच्चों और महिलाओं से जुड़े मुद्दे, गरीबी, बेरोजगारी, आदि। इसके अलावा, राजमार्गों का रख• रखाव, नई सड़कों का विकास, पुलों का निर्माण और पुलिया, कृषि क्षेत्र, बिजली और पानी के सही संगठन की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन कार्यों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाओं को डिजाइन और क्रियान्वित करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सतत विकास जीवन का नियम है और इसे ध्यान में रखते हुए, हर देश या राज्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हर क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करता है। सतत और समान विकास प्राप्त करने के लिए, राज्य में मौजूद गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के दुष्चक्र को तोड़ना होगा और अन्य कमियों को समाप्त करना होगा। बिहार इन चुनौतियों और कमियों से अछूता नहीं है, परिणामस्वरूप, बिहार सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें खत्म करने का प्रयास कर रही है और विकास को गति देने वाली परियोजनाओं को भी लागू कर रही है।

यह बिहार के विकास के लिए सात मार्गदर्शक अवधारणाओं में से एक है। नीचे बिहार में चल रही कई नई और मौजूदा योजनाओं का विवरण दिया गया हैः

सात निश्चय योजना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में राज्य के विकास के लिए 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य बिहार के विकास को गति देना है। इस रणनीति के तहत, सात विकल्पों की पहचान की गई है और उन सभी को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक समर्पित टीम की स्थापना की गई है। ये सात फैसले हैंः

1. आर्थिक हल, युवाओं को बल

2. आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार

3. हर घर बिजली

4. हर घर नल का जल

5. घर तक, पक्की गली–नालियाँ

6. शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

7. अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

1. आर्थिक हल, युवाओं को बल

इसके तहत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं–

- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
- कुशल युवा कार्यक्रम
- बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2016
- सभी सरकारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा।

2. आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार

- महिलाओं के सशत्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार राज्य ने सभी सरकारी क्षेत्र के पदों पर महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।
- यह फरवरी 2016 से चालू है।

3. हर घर बिजली

- इस संकल्प का मकसद बिहार के ग्रामीण और शहरी जिलों के हर घर में बिजली पहुंचाना है.
- इस कारण से, राज्य ने मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना को अपनाया है, जिसके तहत सरकार सभी ग्रामीण घरों में मीटर के साथ बिजली कनेक्शन प्रदान करती है।
- इस फरमान के अनुसार, दिसंबर 2017 तक राज्य के सभी गांवों में और दिसंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली उपलब्ध होनी चाहिए।

4. हर घर नल का जल

- इस कार्रवाई का लक्ष्य यह गारंटी देना है कि बिहार के सभी घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित पहलें शुरू की गई हैं:
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना
- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना

5. घर तक, पक्की गली–नालियाँ

- प्रधनमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के साथ, इस पहल का उद्देश्य शेष राज्य में सभी कटी हुई बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना और सभी गांवों और कस्बों में सड़क नालियों का निर्माण करना है।

- ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 2019–20 तक 100 या उससे अधिक आबादी वाली 4643 बस्तियों को जोड़ा जाएगा।
- वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद, पिछले एक दशक में बिहार की सामाजिक आर्थिक प्रगति लगातार रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर नवीनतम श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार, 2018–19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर स्थिर कीमतों पर 10.53 प्रतिशत थी और मौजूदा कीमतों पर यह 15.01 प्रतिशत थी, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर से अधिक है।
- 2018–19 में, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर 5,57,490 बिलियन और 2011–12 की स्थिर कीमतों पर 3,94,350 बिलियन था। और 2018–19 में, राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर 5,13,881 करोड़ और स्थिर कीमतों पर यह 3,59,030 करोड़ था। नतीजतन, 2018–2019 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर 47,541 डॉलर और स्थिर कीमतों पर 33,621 डॉलर था।
- सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 21.3 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 59.0 प्रतिशत था। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में मुख्य योगदाता हैं जिनका 2018–19 में क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा था और गत पाँच वर्षों में ये हिस्से लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच समग्र द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा है। तृतीयक क्षेत्र में मुख्य योगदाता व्यापार एवं मरम्मत सेवाएँ (18.2 प्रतिशत) और स्थावर संपदा आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ (9.1 प्रतिशत) थे। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 2012–13 से 2018–19 के बीच बढ़ा है।
- राजकीय वित्तव्यवस्था– वर्ष 2018–19 में बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के संकल्पों का पालन किया गया है। इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.68 प्रतिशत, राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.34 प्रतिशत और राज्य सरकार की लोक श्रृण संबंधी देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.34 प्रतिशत के बराबर थी।
- अपने संसाधनों से सीमित राजस्व प्राप्ति को देखते हुए राज्य सरकार संसधनों के लिये केंद्रीय अंतरणों और अनुदानों पर काफी निर्भर रही है। ये अंतरण अधिकांशतः वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार होते हैं। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020–21 के लिये अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसकी अनुशंसा के अनुसार 2020–21 के लिये कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67 प्रतिशत से बढ़कर 10.06 प्रतिशत हो गया है।
- राजकोषीय प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के प्रयास में, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) को लागू किया, जो सभी राज्य वित्तीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पेपर लेस बना देगा। 2018–2019 वित्तीय वर्ष में, राज्य सरकार ने अनिवार्य किया है कि सभी एजेंसियां जेम पोर्टल का उपयोग करके खरीदारी करें।
- वर्ष 2018–19 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति 1,31,793 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति 20,494 करोड़ थी। वहीं राज्य में राजस्व व्यय 1,24,897 करोड़ और कुल व्यय 1,54,655 करोड़ था। वर्ष 2018–19 में राजस्व प्राप्ति गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़ी जबकि राजस्व व्यय 21.7 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, इस अवधि में पूंजीगत प्राप्ति 12.0 प्रतिशत घटकर 29,759 करोड़ रह गई।
- वर्ष 2018–19 में कर राजस्वों से प्राप्ति 14,791 करोड़ बढ़कर 103,011 करोड़ हो गई जो गत वर्ष की अपेक्षा 16.8 प्रतिशत अधिक है। वहीं 2018–19 में करेतर राजस्व 4131 करोड़ था जो गत वर्ष से 17.8 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान एवं अंशदान के तहत प्राप्ति घटकर 2018–19 में 24,652 करोड़ रह गई। वर्ष 2018–19 में राज्य द्वारा संग्रहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर 17,861 करोड़ था। राज्य के लिये वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहित कुल राजस्व में समेकित वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त राजस्व का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा था।
- कुल व्यय में राजस्व लेख पर व्यय का हिस्सा 2017–18 के 75.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 80.8 प्रतिशत हो गया। फलतः पूंजीगत लेख का व्यय 2017–18 के 24.8 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 19.2 प्रतिशत रह गया। 1,54,655 करोड़ के कुल व्यय में से 1,07,737 करोड़ (69.7 प्रतिशत) विकास मूलक व्यय था। राज्य सरकार का वेतन और पेंशन पर व्यय 2018–19 में गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़ा और 35, 996 करोड़ पहुँच गया।

- वर्ष 2018–19 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमशः 38,691 करोड़, 58,284 करोड़ और 27,918 करोड़ था। इन शीर्षों के तहत गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 15.9 प्रतिशत 27.3 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत वृद्धि दिखी।
- वर्ष 2018–19 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से में दो प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई जबकि आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के हिस्सों में एक–एक प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। वर्ष 2018–19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 27.3 प्रतिशत बढ़कर 58, 284 करोड़ हो गया।

–: संदर्भ :–

1. आर. वी. पी. सिंह, बिहार का भौगोलिक स्वरूप ।
2. डॉ0 मोहन प्र0 श्रीवास्तव, विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन।
3. डॉ0 म. म. भालेराव, कृषि अर्थशास्त्र ।
4. मुरे, डी0 ब्राइड्स, इण्डस्ट्रीयल डेवलॉपमेंट ।
5. डॉ0 अरविन्द एवं यतीन्द्र शांडिल्य, बिहार एक खोज।
6. डॉ0 मामोरिया एवं जैन , भारतीय अर्थशास्त्र ।
7. रूद्रदत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था ।
8. सक्सेना, एस. सी. , श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा।
9. डॉ0 मुखर्जी, आर0 के0, वर्किंग क्लास।